समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र., ग्वालियर

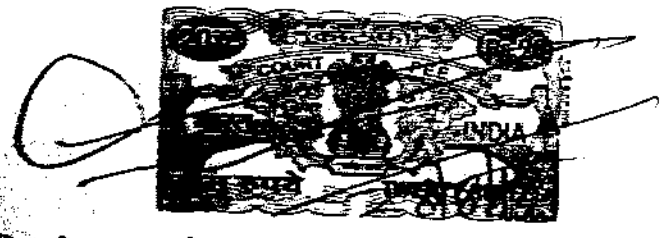

(१५९)

ऋषि कुमार तिवारी उम्र करीब 48 साल आ. स्व. शांतिप्रसाद तिवारी
निवासी आदमगढ होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद ....आवेदक
निगरानी – 6352/2018/होशंगाबाद/भू.रा. विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....उत्तरवादी

सुशील गोयल
अधिवक्ता, होशं०
द्वारा प्रस्तुत
प्र० ला०

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 469/अपील/2017–18 ऋषि तिवारी विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य मे पारित आदेश दिनांक 19.07.2018 जो कि श्रीमान अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 20/अपील/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 30.12.2017 एवं श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्र.क 277बी121/2015–16 मोहनलाल बगैरा विरूद्व म.प्र. राज्य में पारित आदेश दिनांक 30.09.2016 से उत्पन्न हुआ के विरूद्व असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत कर रहा है।

/8/2018
अधीक्षक
टोरेट, होशंगाबाद

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि आवेदक मोहनलाल बगैरा के नाम पर ग्राम किशनपुर पटवारी हल्का नंबर 17 तह. जिला होशंगाबाद स्थित भूमि खसरा नंबर 104/1 रकबा 3.77 एकड़ जिसका नया खसरा नंबर 144/1 रकबा 3.75 एकड़ दर्ज है। उक्त भूमि को मोहनलाल बगैरा ने अपीलार्थी ऋषि कुमार को विकयपत्र दिनांक 25.03.2009 को विकय कर दी और राजस्व अभिलेख मे आवेदक का नाम भूमि स्वामी की हैसीयत से दर्ज हो चुका है।

2. यह कि आवेदक ने विकयपत्र के माध्यम से ख. नं. 144/2 रकबा 1.517 हेक्टेयर भूमि कय की है भूमि के पूर्व भूमि स्वामी मोहनलाल बगैरा ने अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद के न्यायालय में आवेदनपत्र धारा 203 म.प्र. भूराजस्व संहिता का प्रस्तुत किया जिसके 0.65 एकड़ भूमि नाले में कटाव होने से कम होने के कारण ग्राम किशनपुर की भूमि ख.नं. 22 जिसका नया ख.नं. 69 रकबा 2.07 एकड़ है जो राजस्व अभिलेख में तालपानी मद में सरकार के नाम पर दर्ज है, मे से 0.65 एकड़ भूमि आवेदक मोहनलाल बगैरा को बदले मे देने हेतु निवेदन किया जिसे निम्न न्यायालय ने निरस्त कर दिया उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक यह अपील प्रस्तुत कर रहा है।

3 यह कि आवेदक की जमीन के पास पूर्व में नाला स्थित था लेंकिन समय के अंतराल से उक्त नाले ने अपना रास्ता बदल दिया है और वह आवेदक की भूमि ख.नं. 144/1 में बीच से बहने लगा है। नाला बनने के फलस्वरूप आवेदक की जमीन मे नाले के बहने के कारण जल कटाव हो गया है और मौके पर आवेदक एवं उनके दादा गौरीशंकर जी के हिस्से की 1.30 एकड़ भूमि कम हो गयी है। आवेदक की आधी भूमि 0.65 एकड़ कम हुई तथा उनके दादा गौरीशंकर की 0.65 एकड़ भूमि कम हुई इस कारण आवेदनपत्र धारा 203 म.प्र. भूराजस्व संहिता का प्रस्तुत किया।

4 यह कि नाले के असमान रूप से बहाव होने के कारण जलकटाव हुआ और आवेदक की भूमि कम हो गयी है और नाले के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है इस कारण ख.नं. 22 नया ख.नं. 69 रकबा 2.07 एकड भूमि में से 0.65 एकड़ भूमि आवेदक द्वारा [illegible]
[illegible]
[illegible]

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6352/18/होशं0/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-4-19	आवेदक पक्ष की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-7-18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की गई है । आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 203 में जल-प्लावन से खाते की भूमि के नुकसान का शासकीय भूमि से विनिमय का कोई प्रावधान नहीं है एवं यह भी स्पष्ट है कि यदि एक एकड़ से अधिक भूमि की कमी जल-प्लावन से होगी तो भू-राजस्व कम किये जाने का अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है । प्रश्नाधीन प्रकरण में एक एकड़से कम 0.67 एकड़ जल-प्लावन होने का दावा आवेदक द्वारा किया गया है । ऐसी स्थिति में विनिमय दावा अस्वीकार कर अपील को सुनवाई हेतु अग्राह्य किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया ही ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	